



भारत सरकार

आयकर आयुक्त-॥

केन्द्रीय राजस्व भवन, गडकरी चौक, पुराना आगरा रोड

नाशिक -422002

फा.सं.ना./आ.आ-॥/80-जी(5)/(18/43)/2013-14 | 2488

दिनांक : 27.11.2013

आदेश

(आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-जी)

PAN-AABTJ6628G

एतद् द्वारा जलगांव विपश्यना संस्था, एम सैक्टर, १६१, एम.आय.डी.सी.,
जिल्हा.जलगांव संस्था को उनके दिनांक १०.०५.२०१३ आवेदन पत्र के अनुसार आयकर
अधिनियम 1961 की धारा 80-जी(5) के तहत अनुमोदित किया जाता है।

1. तदनुसार इस संस्था को दिया जाने वाला दान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-जी
के अंतर्गत, दानदाता के पक्ष में छूट मिलने का पात्र होगा।
2. यह आदेश दिनांक १०.०५.२०१३ से लागू रहेगा।



हस्ते/-
(जी.डी.चांदोरकर)
आयकर आयुक्त-॥
नाशिक

सं.ना./आ.आ-॥/80-जी(5)/(18/43)/2013-14 | 2488

आयकर आयुक्त कार्यालय-॥
नाशिक, दिनांक : 27.11.2013

प्रतिलिपियाँ प्रेषित

1. सयुक्त/अतिरिक्त आयकर आयुक्त, रेंज-2, जलगांव
2. कर निर्धारण अधिकारी, वार्ड-2(2), जलगांव
3. उपरोक्त संस्था को, उसके मैनिजिंग ट्रस्टी / मुख्य अधिकारी के मार्फत !
कृपया पीछे दी हुई सूचनाओं का ध्यान रखे ।

(पी. एस. टिलवाणी)

आयकर अधिकारी(मु)(तकनीकी)-॥
कृते आयकर आयुक्त-॥, नाशिक


- 1) दानदाता को जारी की जानेवाली रसीदों में ईस आदेश की संख्या और तारीख का उल्लेख होना चाहिए!
- 2) ऐसी रसीद - बहियों का रख - रखाव सही ढंग से किया जाना चाहिए तथा एक विशिष्ट रसीद - बही रजिस्टर में उनके प्रयोग का हिसाब रखा जाना चाहिए!
- 3) जहाँ जरूरी हो, वहाँ न्यास धारा 80(जी)(5)(1)(सी) के अनुसार प्रमाण पत्र रसीद के साथ देना चाहिए !
- 4) आय और व्यय के हिसाब का वार्षिक विवरण कर निर्धारण अधिकारी के पास निचीत रूप से प्रस्तुत किया जाय !



(पी. एस. टिलवाणी)

आयकर अधिकारी(मु)(तकनिकी)-॥

कृते आयकर आयुक्त-॥, नाशिक



(उपनिदेशक वि. वि.)

॥-सहायक आयुक्त

नाशिक

॥-सहायक आयुक्त

नाशिक

(उपनिदेशक वि. वि.)

॥-सहायक आयुक्त

नाशिक